न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –63/2015

दायर दिनांक –28.08.2015

निर्णय दिनांक –13.02.2023

जीसीएमएस नं0 –2015/00063

प्रार्थीगण

1. श्री हरिसिंह पुत्र श्री छीतर जाति रावत
2. श्री लादूसिंह पुत्र श्री छीतर जाति रावत (मृतक) जरिये वारिसान
   2/1 श्रीमती सोहनी देवी पत्नी स्व0 श्री लादूसिंह
   2/2 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लादूसिंह
   2/3 उम्मेदसिंह पुत्र स्व0 श्री लादूसिंह
   2/4 तारादेवी पुत्री स्व0 श्री लादूसिंह
   2/5 मीरादेवी पुत्री स्व0 श्री लादूसिंह
3. श्री माधूसिंह पुत्र श्री छीतर जाति रावत
4. श्री बाबूसिंह पुत्र श्री छीतर जाति रावत (मृतक) जरिये वारिसान–
   4/1 श्रीमती नानीदेवी पत्नी श्री स्व. बाबूलाल
   4/2 सूरज सिंह पुत्र श्री स्व. बाबूलाल
   4/3 विक्रम सिंह पुत्र श्री स्व. बाबूलाल
   4/4 अनिता पुत्री श्री स्व. बाबूलाल
   4/5 सीमा पुत्री श्री स्व. बाबूलाल
5. श्री नौरतसिंह पुत्र श्री छीतर जाति रावत निवासी नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थी गण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्री कैलाशचंद पुत्र श्री ताराचंद
3. श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री ताराचंद
4. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ताराचंद
5. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ताराचंद
6. श्रीमती सूरजदेवी पत्नी श्री ताराचंद जाति महाजन निवासी 14/492 चून पचान गली, नला बाजार, अजमेर।

13/2/23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री निर्मल कुमार जैन, श्री के.डी. खान, अधि.प्रार्थीगण
2. श्री खड़ग सिंह, अधि. अप्रार्थीगण
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर

–: आदेश :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर नाला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी आधार खसरा सं. 2121 तथा 2126/2402 में वर्किंग जमाबन्दी के खसरा सं. 561 मि. में अंकित प्रविष्टि के अनुसार प्रार्थीगणों का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम पुष्कर नाला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी जिसका जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

वर्किंग खं. सं.	रकबा (हैक्ट.)	आधार खसरा सं.	रकबा (हैक्ट.)
561 मि.	1.05	2121	1.05
561 मि.	0.06	2126/2402	0.06

उपरोक्त आराजी के वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के अनुसार खातेदार काश्तकार सुगनी पुत्री सुरजमल जाति महाजन थी जिनके द्वारा बेचान से खसरा सं. 561 मिन पर नामान्तरकरण सं. 478 दिनांक 04.01.1986 को सावित्री प्रसाद वल्द धन्नालाल का नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामा. सं. 77 दिनांक 20.06.1988 के द्वारा विक्रेता सावित्री प्रसाद वल्द धन्नालाल के स्थान पर बिरधा सिंह व हजारी सिंह पिता लादू सिंह व नौरतमल पुत्र इन्दमल जैन का अमल दरामद किया गया। नामा. सं. 92 दिनांक 30.03.1990 को जरिये बेचान द्वारा बिरदा सिंह आदि के स्थान पर प्रार्थीगण हरिसिंह, लादु सिंह, माधुसिंह, बाबुलाल व नोरतसिंह पिता छीतरसिंह का नाम अमल दरामद किया गया। दिनांक 30.03.1990 से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा आधार जमाबन्दी बनाते समय त्रुटिरूप से वर्किंग जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि नामा. सं. 92 दिनांक 30.03.1990 को ध्यान न रखते हुए प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती आधार जमाबन्दी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

30/12/23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 14.12.2015 को श्री कैलाशचन्द, श्रवण कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण श्री ताराचन्द व मु. सूरजदेवी पत्नी श्री ताराचन्द जरिये अभिभाषक श्री खड़ग सिंह द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसका जवाब दिनांक 13.12.2019 प्रार्थीगण द्वारा दिया गया। दिनांक 05.03.2021 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 स्वीकार किया गया तथा कैलाशचन्द, श्रवण कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण श्री ताराचन्द व मु. सूरजदेवी पत्नी श्री ताराचन्द को अप्रार्थीगण सं0 02 लगायत 06 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थीगण सं. 02 लगायत 06 के अभिभाषक एवं स्वयं अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने के कारण जवाब हेतु पर्याप्त व समुचित अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 13.02.2023 को अप्रार्थीगण के खिलाफ जवाब प्रार्थना–पत्र बन्द करने की कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी पैरोकार सरकार /तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1645 दिनांक 31.08.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "साबिक वर्किंग खसरा सं. 561 रकबा 06–17–00 बीघा किस्म बारानी 2 वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं. 248 में मुस्मात सुगनी पुत्री सुरजमल जाति महाजन निवासी अजमेर खातेदार थी। नामान्तरकरण सं. 478 दिनांक 04.01.1986 के अनुसार खसरा सं. 561 मि. रकबा 03–19–10 बीघा किस्म बारानी 1 सावित्री प्रसाद वल्द धन्नालाल के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 77 दिनांक 20.06.1988 से खसरा सं. 561 मिन रकबा 03–19–10 बीघा सावित्री प्रसाद पुत्र धन्नालाल के स्थान पर बिरधासिंह व हजारी सिंह पिता लादू सिंह जाति रावत सा. खानपुरा व नोरतमल पुत्र इन्द्रमल जैन सा. अजमेर खातेदार के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 92 दिनांक 30.03.1990 से नामान्तरकरण सं. 77 दिनांक 20.06.1988 के बिरधा सिंह आदि के स्थान पर श्री हरिसिंह, लादु सिंह, माधुसिंह, बाबुलाल व नोरतसिंह पिता छीतरसिंह जाति रावत सा. देह के नाम खसरा सं. 561 मिन रकबा 03–19–10 बीघा दर्ज हुआ। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा सं. 561 रकबा 06–17–00 बीघा के नवीन खसरा सं. 2121 रकबा 1.05 हैक्ट व 2126/2402 रकबा 0.06 हैक्ट बने। मिसल 2064–84 के खाता सं. 62 में खसरा सं. 2121 रकबा 1.05 हैक्ट0 व खसरा सं. 2126/2402 रकबा 0.06 हैक्ट0 कैलाषचन्द, श्रवण कुमार, राजेष कुमार, सुनिल कुमार पिता ताराचन्द व सुरज देवी बेवा ताराचन्द कौम महाजन सा.

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अजमेर के नाम दर्ज था। जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता सं. 94 में दर्ज नोट नामान्तरकरण सं. 254 दिनांक 12.12.2015 द्वारा बैचान से खसरा सं. 2121 कुल रकबा 1.05 हेक्ट में से नवीन खसरा सं. 3169/2121 रकबा पर विक्रेता कैलाशचन्द, श्रवण कुमार, राजेश कुमार, सुनिल कुमार पिता ताराचन्द व सुरज देवी बेवा ताराचन्द कौम महाजन सा. अजमेर के स्थान पर क्रेता श्रीमती शान्ति देवी पत्नी बिरदा सिंह जाति रावत सा. पुष्कर नाला खातेदार दर्ज करना स्वीकार हुआ। शेष इन्द्राज बदस्तुर। साबिक व हाल राजस्व रिकॉर्ड के अध्ययन अनुसार निष्कर्ष यह है कि साबिक खसरा सं. 561 मिन रकबा 03–19–10 बीघा पर नामानतरकरण सं. 92 दिनांक 30.03.1992 अनुसार हरिसिंह, लादूसिंह, माधुसिंह, बाबूलाल व नौरत सिंह पिता छीतर सिंह का नाम दर्ज होना था। लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकॉड तैयार करते समय सहवन से नामान्तरकरण सं. 92 का अमल नहीं किया गया। अतः गत खसरा सं. 561 मिन रकबा 03–19–10 बीघा के हाल खसरा सं. 2121 रकबा 0.58, 2126/2402 रकबा 0.06 हैक्ट0 पर साबिक रिकार्ड अनुसार हरिसिंह, लादूसिंह, माधुसिंह, बाबूलाल व नौरत सिंह पिता छीतर सिंह जाति रावत सा. देह के नाम पुनः दर्ज करना न्यायोचित होगा।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से नामान्तरकरण सं. 92 दिनांक 30.03.1992 का अमल नहीं किया गया तथा श्रीमान जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), अजमेर के पत्रांक कअ/भूअ/रेकॉर्ड/एफ–14(1)/2012/194 दिनांक 13.12.2012 के आदेश में विधिक रूप स्वीकृत नामान्तरकरणों का मिसल बन्दोबस्त में अमल दरामद नहीं होने की स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी छूटे गये नामा0 के अमल दरामद हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगा। इस स्वीकृति के पश्चात् तहसीलदार ऐसे नामान्तरकरणों का अमल दरामद आधार जमाबंदी में करेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण हेतु न्यायिक दृष्टांत जैसे– आरआरटी 2018(2) पेज नं0 1030 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भंवरलाल व अन्य, वेस्टर्न लॉ केसेज 2017(4) पेज नं0 91 दिनांक 23.11.2017 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री उदयलाल, आरआरटी 2022(2) पेज नं0 906 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री कालू, आरआरटी 2018(2) पेज नं0 1514 जीवराज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि पेश किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में गत खसरा सं. 561 मिन रकबा 03–19–10 बीघा के हाल खसरा सं. 2121 रकबा 0.58, 2126/2402 रकबा 0.06 पर साबिक रिकार्ड अनुसार हरिसिंह, लादूसिंह,

13/12/22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

माधुसिंह, बाबूलाल व नौरत सिंह पिता छीतर सिंह जाति रावत सा. देह के नाम पुनः दर्ज करना न्यायोचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर नाला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी आधार खसरा सं. 2121 तथा 2126/2402 में वर्किंग जमाबन्दी के खसरा सं. 561 मि. में अंकित प्रविष्टि के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पुनः दर्ज करना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर नाला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी आधार खसरा सं. 2121 तथा 2126/2402 में वर्किंग जमाबन्दी के खसरा सं. 561 मि. में अंकित प्रविष्टि के अनुसार प्रार्थीगण हरिसिंह, लादूसिंह के विधिक वारिसान, माधुसिंह, बाबूलाल के विधिक वारिसान व नौरत सिंह पिता छीतर सिंह जाति रावत सा. देह के नाम पुनः खातेदारी दर्ज की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

13/2/23

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
(आर.ए.एस.)